भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4359
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

केरल में फास्ट ट्रैक कोर्ट

4359. श्री राजमोहन उन्नीथन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना और इसके कार्यान्वयन का जिलावार ब्यौरा क्या है ;

(ख) निपटाए गए मामलों की संख्या क्या है तथा इसके प्रभावी कार्यकरण में आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ग) विशेषकर केरल में, यौन अपराध से संबंधित लंबित मामलों के समाधान में फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : देश में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए अधीनस्थ न्यायालयों सहित त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) की स्थापना राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालयों को स्थापित करते हैं। 14वें वित्तीय आयोग ने जघन्य प्रकृति के विनिर्दिष्ट मामलों, महिलाओं, बालकों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, लाइलाज बीमारियों से संक्रमित व्यक्तियों आदि से संबंधित सिविल मामलों और 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामलों के त्वरित विचारण के लिए 2015-2020 के दौरान 1800 त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) स्थापित करने की सिफारिश की थी। वित्त आयोग ने राज्य सरकारों से इस प्रयोजन के लिए कर न्यागमन के माध्यम से उपलब्ध बढ़ी हुई राजकोषीय गुंजाईश का उपयोग करने का और आग्रह किया था। संघ सरकार ने राज्य सरकारों से वित्तीय वर्ष 2015-16 से त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के लिए निधि आबंटित करने का अनुरोध किया है। उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31.10.2024 तक देश में 863 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यशील हैं। तथापि, **केरल राज्य में कोई भी त्वरित निपटान न्यायालय कार्यशील नहीं है**। कार्यशील त्वरित निपटान न्यायालय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा **उपाबंध-1** पर दिया गया है।

और, दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम (संशोधन), 2018 और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश [स्वप्रेरणा रिट (दाण्डिक) संख्या 1/2019] के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार बलात्संग और लैगिंक अपराधों से बालकों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित विचारण और समयबद्ध रीति से निपटान के लिए अक्टूबर, 2019 से त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) सहित अनन्य

रूप से पोक्सो (इ- पोक्सो) की स्थापना के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित कर रही है। यह स्कीम शुरू में एक वर्ष के लिए थी, जिसे मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया था। संघ मंत्रिमंडल ने 1952.23 करोड़ रुपये के परिव्यय पर, 01.04.2023 से 31.03.2026 तक, तीन और वर्षों के लिए स्कीम के विस्तारण को मंजूरी दी, जिसके अंतर्गत निर्भया निधि से खर्च किए जाने वाले केंद्रीय हिस्से के रूप में 1207.24 करोड़ रुपये भी हैं । उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत डाटा के अनुसार, 31.10.2024 तक 30 राज्यों /संघ राज्यक्षेत्रों में 750 एफटीएससी सहित 408 अनन्य रूप से पोक्सो (इ-पोक्सो) न्यायालय कार्यशील हैं। इन न्यायालयों ने स्कीम की शुरुआत से अब तक 2,87,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है, जबकि 2,03,000 से अधिक मामले लंबित हैं। कार्यशील त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) का अन्य बातों के साथ संचयी निपटान का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र -वार ब्योरा **उपाबंध- 2** में दिया गया है।

केरल राज्य में, **55 एफटीएससी** सहित **14 अनन्य रूप से पोक्सो न्यायालय** कार्यशील हैं। इन 55 कार्यशील एफटीएससी की जिलावार सूची **उपाबंध –3** पर दी गई है। इन न्यायालयों ने स्कीम की शुरुआत से अब तक 22,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है, जबकि **6,635 मामले** अभी भी लंबित हैं।

स्कीम के दक्ष कार्यान्वयन के लिए, न्याय विभाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और उनसे संबंधित उच्च न्यायालयों के नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, विभाग द्वारा उच्च न्यायालयों के माध्यम से विस्तृत जानकारी एकत्र करने और एफटीएससी के निष्पादन को ट्रैक करने के लिए एक डैशबोर्ड बनाया गया है।

****

उपाबंध-1

'केरल में त्वरित निपटान न्यायालय' के संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4359 जिसका उत्तर तारीख 20 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है का निर्दिष्ट कथन

कार्यशील त्वरित निपटान न्यायालय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा (31.10.2024 तक)

क्रम संख्या	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	कार्यशील एफटीसी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	21
2	अंदमान और निकोबार द्वीप	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	15
5	बिहार	0
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ	27
8	दादरा और नागर हवेली और दीव और दमण	0
9	दिल्ली	26
10	गोवा	4
11	गुजरात	54
12	हरियाणा	6
13	हिमाचल प्रदेश	3
14	जम्मू-कश्मीर	8
15	झारखंड	41
16	कर्नाटक	0
17	केरल	0
18	लद्दाख	0
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	0
21	महाराष्ट्र	101
22	मणिपुर	6
23	मेघालय	0
24	मिजोरम	2
25	नागालैंड	0
26	ओडिशा	0
27	पुडुचेरी	0
28	पंजाब	7
29	राजस्थान	0
30	सिक्किम	2
31	तमिलनाडु	72
32	तेलंगाना	0
33	त्रिपुरा	3
34	उत्तर प्रदेश	373
35	उत्तराखंड	4
36	पश्चिमी बंगाल	88
	कुल	**863**

उपाबंध-2

'केरल में त्वरित निपटान न्यायालय' के संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4359 जिसका उत्तर तारीख 20 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है का निर्दिष्ट कथन

त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों सहित अनन्य रूप से पोक्सो न्यायालय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्योरा (31.10.2024 तक)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील न्यायालय		स्कीम की शुरुआत से अब तक संचयी निपटान		
		एफटीएससी सहित अनन्य रूप से पोक्सो	अनन्य रूप से पोक्सो	एफटीएससी	अनन्य रूप से पोक्सो	कुल
1	आंध्र प्रदेश	16	16	0	5839	5839
2	असम	17	17	0	7076	7076

3	बिहार	46	46	0	13762	13762
4	चंडीगढ़	1	0	300	0	300
5	छत्तीसगढ	15	11	1070	4455	5525
6	दिल्ली	16	11	634	1563	2197
7	गोवा	1	0	49	34	83
8	गुजरात	35	24	2706	11153	13859
9	हरियाणा	16	12	1743	5189	6932
10	हिमाचल प्रदेश	6	3	519	745	1264
11	जम्मू - कश्मीर	4	2	108	134	242
12	झारखंड	22	16	2483	5293	7776
13	कर्नाटक	31	17	4466	7406	11872
14	केरल	55	14	15292	6916	22208
15	मध्य प्रदेश	67	57	4260	24388	28648
16	महाराष्ट्र	8	4	8604	11957	20561
17	मणिपुर	2	0	167	0	167
18	मेघालय	5	5	0	623	623
19	मिजोरम	3	1	171	66	237
20	नागालैंड	1	0	64	3	67
21	ओडिशा	44	23	5897	10905	16802
22	पुडुचेरी*	1	1	0	107	107
23	पंजाब	12	3	2298	2191	4489
24	राजस्थान	45	30	5014	11497	16511
25	तमिलनाडु	14	14	0	8534	8534
26	तेलंगाना	36	0	7118	2731	9849
27	त्रिपुरा	3	1	223	196	419
28	उत्तराखंड	4	0	1747	0	1747
29	उतर प्रदेश	218	74	38428	40813	79241
30	पश्चिमी बंगाल	6	6	0	193	193
31	अंदमान और निकोबार**	-	-	-	-	-
32	अरुणाचल प्रदेश***	-	-	-	-	-
	कुल	**750**	**408**	**103361**	**183769**	**287130**

टिप्पण: स्कीम की शुरुआत में, देश भर में एफटीएससी का आवंटन प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक एफटीएससी स्थापित किया जाएगा। इसके आधार पर, केवल 31 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र ही स्कीम में शामिल होने के पात्र थे।

*** पुडुचेरी ने विशेष रूप से स्कीम में शामिल होने का अनुरोध किया और मई 2023 में एक अनन्य रूप से पोक्सो न्यायालय का प्रचालन किया है।**

**** अंदमान और निकोबार द्वीप समूह ने स्कीम में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की है, लेकिन अभी तक किसी भी न्यायालय का प्रचालन नहीं किया है।**

***** अरुणाचल प्रदेश ने बलात्संग और पोक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए स्कीम से बाहर रहने का विकल्प चुना है।**

उपाबंध-3

"केरल में त्वरित निपटान न्यायालय' के संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4359 जिसका उत्तर तारीख 20 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है का निर्दिष्ट कथन

केरल राज्य में त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों सहित अनन्य रूप से पोक्सो (इ-पोक्सो) न्यायालयों की जिला-वार सूची (31.10.2024 तक)

क्रम संख्या	न्यायिक जिला	न्यायालय का नाम
1.	तिरुवनंतपुरम	त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, तिरुवनंतपुरम**
2.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, नेय्याट्टिनकारा
3.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, नेदुमंगद
4.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, अट्टिंगल
5.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, वर्कला
6.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, कट्टकडा
7.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय-II, नेय्याट्टिनकारा
8.	कोल्लम	त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, पुनालुर**
9.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, करुनागपल्ली
10.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, कोल्लम
11.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, कोट्टाराक्कारा
12.	पथानामथिट्टा	त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, पथानामथिट्टा**
13.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, अदूर
14.	अलाप्पुझा	त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, हरिपद**
15.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, चेर्थला
16.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, चेंगन्नूर
17.	कोट्टायम	त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, कोट्टायम**
18.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, चंगनाचेरी
19.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, एराट्टुपेटा
20.	तोडुपुज़ा	त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, इडुक्की एट पेनावु
21.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, कट्टप्पना**
22.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, देविकुलम
23.	एर्नाकुलम	त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, पेरुंबवूर**
24.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, अलुवा
25.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, नॉर्थ परवूर
26.	त्रिशूर	त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, कुन्नमकुलम
27.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, त्रिशूर**
28.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, इरिंजालकुडा
29.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय-II, त्रिशूर
30.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, चालाकुडी
31.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, चावक्कड़
32.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, कोडुंगल्लूर
33.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, वडक्कनचेरी
34.	पलक्कड़	त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, पलक्कड़**
35.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, पट्टाम्बि
36.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, अलाथुर
37.	मंजेरी	त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, पेरिंथलमन्ना
38.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, तिरुर
39.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, मंजेरी**
40.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय-II, मंजेरी
41.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय-II, पेरिंथलमन्ना
42.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, पोन्नानी
43.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, परप्पनंगडी
44.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, नीलांबुर
45.	कोझिकोड	त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, कोझिकोड**
46.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, कोयिलैंडी
47.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, नादापुरम
48.	कलपेट्टा	त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, कलपेट्टा**
49.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, सुल्तान बाथरी
50.	थालास्सेरी	त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, थालास्सेरी**
51.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, तालिपरम्बा

क्रम संख्या	न्यायिक जिला	न्यायालय का नाम
52.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, कन्नूर
53.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, मट्टनूर
54.	कासरगोड	त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, होसदुर्ग**
55.		त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, कासरगोड

*** केरल सरकार द्वारा जी.ओ.(एमएस) संख्या 203/2021/गृह, तारीख 22.11.2021 के द्वारा ई-पॉक्सो न्यायालय के रूप में अधिसूचित।*

****